[2008] 11 एस. सी. आर **75**

सोनेलाल

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य

(2008 की आपराधिक अपील सं**. 1133)**

22 जुलाई**, 2008**

[माननीय न्यायाधिपति डॉ**.** अरिजीत पासायत और डॉ मुकुंदकम शर्मा**]**

आपराधिक मुकदमाः दंड संहिता, 1860: S.302:

हत्या- आरोपी के रिश्तेदारों के साक्ष्य का विश्वास, चश्मदीद गवाहों- आरोपी ने मृतक को तीन बार चाकू से पेट और छाती पर उसकी पत्नी और उसके पुत्र की उपस्थिति में मारा, मृतक की पत्नी उसे पुलिस स्टेशन ले गई और एफ. आई. आर. दर्ज कराई- मृतक ने सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया- अनुसंधान- आरोप पत्र- मृतक की पत्नी और बेटे के साक्ष्य के आधार पर, अधिनस्थ अदालत द्वारा अभियुक्त को हत्या का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई- उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई- अभिनिर्धारितः सही-सिर्फ इसलिए कि चश्मदीद गवाह परिवार के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को स्वयं खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि संबंध किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है - यदि गलत निहितार्थ की याचिका दायर की जाती है तो नींव रखनी होगी- जब आवासीय गृह में कोई घटना होती है, तो उसके निवासी सबसे स्वाभाविक गवाह होते हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए- इसके अतिरिक्त, गवाह पर पीड़ितों के साथ कोई संबंध नहीं रखने के आग्रह के परिणामस्वरूप अक्सर आपराधिक न्याय विफल हो जाता है-केवल अनुमान पर न्यायालय द्वारा

अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में इलाके के अन्य व्यक्तियों की जांच नही करने के लिए आलोचना नही की जा सकती है - तत्काल मामले में अदालतों ने मृतक की पत्नी और बेटे द्वारा दिए गए साक्ष्य का विश्लेषण किया जो चिकित्सीय साक्ष्य के साथ पुष्टि करते हैं, इसलिए विश्वसनीय-प्राकृतिक गवाह।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, अभियुक्त और मृतक के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। अभियुक्त ने, मृतक को मारने के आशय से, मृतक को उसके पेट में तीन बार चाकू मारा और, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आंत बाहर आ गई। मृतक की पत्नी और उसका बेटा उसे पुलिस स्टेशन ले गए थे। पुलिस ने उसे सरकारी अस्पताल भेज दिया जहाँ उसने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने मृतक के पुत्र पी. डब्ल्यू. 6 और पत्नी पी. डब्ल्यू. 9 का साक्ष्य भरोसेमंद पाया और आरोपी को मृतक की हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया तथा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त द्वारा इसके विरुद्ध दायर याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसलिए, वर्तमान अपील।

अभियुक्त-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि जब व्यक्ति, जिन्हे स्वतंत्र गवाह माना जा सकता था, ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया, तब पीडब्लू 6 और 9 के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 सिर्फ इसलिए कि चश्मदीद गवाह परिवार के सदस्य हैं उनका साक्ष्य स्वत ख़ारिज नहीं हो सकता है। जब गवाह पर हितबद्ध होने का आरोप लगाया जाता है, तो वह स्थापित किया जाना चाहिए। (पैरा-6) [81-एफ]

1.2 संबंध किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई रिश्ता वास्तविक अपराधी को नहीं छुपाता और किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाता। यदि गलत फंसाने की दलील दी जाती है तो उसे साबित करना पड़ेगा। ऐसे मामलो में न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण रखना होगा और विश्लेषण करना होगा यह पता लगाने के लिए की क्या यह साक्ष्य ठोस और विश्वसनीय है। (पैरा-6) [81-एच; 82-ए और बी]

दलीप सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य एआईआर (1953) एससी 364; गुली चंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1974) 3 एस. सी. सी. 698 और वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. (1957) एससी 614- पर भरोसा किया।

1.3 यह आधार कि गवाह एक करीबी रिश्तेदार होने के कारण, एक पक्षपाती गवाह है और उस पर भरोसा नहीं किया जाता है, इसका कोई सार नहीं है। (पैरा-9) [82-जी]

दलीप सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य एआईआर (1953) एससी 364; मसलती व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर (1965) एससी 202; पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह एआईआर (1973) एससी 2407; लेहना बनाम हरियाणा राज्य (2002) 3 एस. सी. सी. 76; गंगाधर बेहरा व अन्य बनाम उड़ीसा राज्य (2002) 8 एस. सी. सी. 381; बाबुला भगवान खंडारे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 10 एस. सी. सी. 404 और सलीम साहब बनाम एम. पी. राज्य (2007) 1 एस. सी. सी. 699- पर निर्भर था।

1.4 अक्सर गवाहों पर पीड़ितों के साथ कोई संबंध नहीं रखने के अत्यधिक आग्रह के परिणामस्वरूप आपराधिक न्याय विफल हो जाता है। जब किसी घर में कोई घटना होती है तो सबसे स्वाभाविक गवाह उस घर के

निवासी होंगे। ऐसे स्वाभाविक गवाहों को नजरअंदाज करना और बाहरी लोगों पर जोर देना, जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा होगा, व्यवहारहीन है। (पैरा-13) [84-ए और बी]

1.5 केवल अनुमानों पर न्यायालय को अन्य व्यक्तियों से पूछताछ नहीं करने के लिए अभियोजन पक्ष की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अभियोजन से केवल उन लोगों से जाँच करने की अपेक्षा की जाएगी जिन्होंने घटनाओं को देखा है न की उन लोगों से जिन्होंने इसे नहीं देखा है यद्यपि पड़ोस अन्य निवासियों से भी भरा हो सकता है। (पैरा-13) [84-सी एंड डी]

राजस्थान राज्य बनाम तेजा राम और अन्य ए. आई. आर. (1999) एस. सी. 1776-पर निर्भर था।

2.1 हस्तगत प्रकरण में, पीडब्लू 6 और 9 के साक्ष्य का विश्लेषण अधिनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा बहुत विस्तार से किया गया है। पीडब्लू 6 और 9 की साक्ष्य के संदर्भ में विचारण न्यायालय ने नोट किया कि उनका संस्करण चिकित्सीय साक्ष्य के भीतर उपयुक्त है। (पैरा-14) [84-ई]

2.2 यह फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से प्रतीत होता है की आरोपी से जब्त किए गए चाकू पर पाया गया खून मृतक के अंडरवियर पर पाए गए खून से मिलता है। पीडब्लू-6 ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसने आरोपी के हाथों में चोटें मारी थी। अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अपील में कोई सार नहीं है।(पैरा-15) [84-ई एंड एफ]

न्यायिक दृष्टान्त संदर्भ

(1953) एससी **364;** पैरा **7** और **8** पर आधारित**;**

(1974) 3 एससीसी **698;**

ए. आई. आर. **(1957)** एससी **614;**

ए. आई. आर. **(1953)** एससी **364;** पैरा **7,10, 11** और **12** पर आधारित;

ए. आई. आर. **(1965)** एससी **202;**

ए. आई. आर. **(1973)** एससी **2407;**

(2002) 3 एससीसी **76;**

(2002) 8 एससीसी **381;**

(2005) 10 एससीसी **404;**

(2007) 1 एससीसी **699;**

ए. आई. आर. **(1999)** एस. सी. **1776;** पैरा **13** पर निर्भर

आपराधिक अपीलेट क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 1133/2008

आपराधिक अपील सं. 1333/1999 में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा जबलपुर में दिनांक 20.9.2006 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए विद्या धर गौर (एस. सी. एल. एस. सी.)।

प्रत्यर्थी के लिए विभा दत्ता मखीजा।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत द्वारा पारित किया गया था।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में चुनौती मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के खंडपीठ द्वारा पारित फैसले को दी गई है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षिप्त में आईपीसी) की धारा 302 के तहत उसकी सजा पर सवाल उठाते हुए दायर अपील को खारिज कर दिया गया था, जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुरवारा, कटनी द्वारा अभिलिखित किया गया था।

3. विचारण के दौरान सामने आया अभियोजन का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है:-

दिनांक 24.12.1997 को लगभग 3.30 बजे राम खिलावन (जिसे बाद में 'मृतक' के रूप में संदर्भित किया गया है) निवासी खिरहनी गेट, कटनी अपने घर से निकलकर चाय पीने के लिए विजय के होटल में गये। वहां आरोपी सोने लाल और मृतक राम खिलावन के बीच कुछ विवाद हो गया। आरोपी सोने लाल ने अपनी जेब से चाकू निकालते हुए उससे कहा, "आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा." सोने लाल ने जान से मारने की नियत से मृतक राम खिलावन के पेट में तीन बार चाकू से वार किया, जिससे उसकी आंतें पेट से बाहर आ गयीं. उक्त घटना को सुखराम चौधरी, विजय चौधरी, लाला चौधरी समेत कई अन्य लोगों ने देखा. झगड़े की खबर सुनकर यशोदा बाई पत्नी राम खिलावन वहां पहुंचीं। राम खिलावन को चाकू मारने के बाद आरोपी सोने लाल वहां से रेलवे लाइन की ओर भाग गया। यशोदा बाई अपने पत्नी राम खिलावन को रिक्शा पर पुलिस थाने ले आई और घटना के संबंध में एफ. आई. आर., प्रदर्श- पी- 17 दर्ज कराई। पीएस कटनी ने राम खिलावन को चिकित्सा उपचार के लिए प्रदर्श-पी-21 के माध्यम से सरकारी अस्पताल, कटनी भेजा था। डॉ. अरविंद चौहद्दा, सहायक सर्जन ने अपनी रिपोर्ट, प्रदर्श-पी-20 के माध्यम से उनकी जांच की थी। उसके शरीर पर चोटें पाई गईं। राम खिलावन के पेट और सीने पर धारदार हथियार से चोटें पहुंचाई गई थीं। एक घंटे बाद राम खिलावन ने कटनी के सरकारी अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। सरकारी अस्पताल के वार्ड बॉय कमल राम ने राम खिलावन की मृत्यु की सूचना प्रदर्श-पी-15 के माध्यम से थाना-कटनी को दी। पीएस-कटनी ने इस जानकारी को मर्ज सूचना, प्रदर्श-पी-16 के रूप में दर्ज किया। एएसआई बीके मिश्रा ने गवाहों के समक्ष राम खिलावन, प्रदर्श-पी-13 के शव का पंचनामा तैयार किया।

सहायक सिविल सर्जन, डॉ. एसके शर्मा (पीडब्लू-15) के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श-पी-25 में मृतक राम खिलावन के शरीर पर कई चोटें पाई, यानी छाती के बाईं ओर, छाती के दाईं ओर, अधिजठर क्षेत्र के बाईं ओर और पेट के बाईं ओर। ये चोटें तेज धार वाले हथियार से पहुंचाई गई थीं। पेट की झिल्ली बाहर निकली हुई दिखाई दे रही थी। दाहिना और बायां फुफ्फुस गुहा टूट गया था। पेट और ग्रहणी की पेरिटोनियम गुहा फट गई थी। छोटी आंत भी फट गयी थी। राम खिलावन की मौत रक्तस्राव के कारण हुई।

दौराने अनुसंधान, श्री आर.के. गुप्ता, एसएल ने जरिए फर्द जब्ती घटना स्थल से खून से सनी हुए मिट्टी के साथ-साथ सादी मिट्टी को भी जब्त किया, प्रदर्श-पी-19 और साइट योजना, प्रदर्श-पी-18 तैयार की। श्रीमती यशोदा बाई ने अपने पति मृतक राम खिलावन की खून से सनी शर्ट श्री आरके गुप्ता, एसआई के पास जमा कर दी थी और जो प्रदर्श-पी-22 है। भारत लाल कांस्टेबल ने राम खिलावन के अंडरवियर का सीलबंद पैकेट कटनी अस्पताल से वापस प्राप्त करते हुए पीएस कटनी में जमा कर दिया, जो प्रदर्श-पी-4 है। 25 दिसंबर, 1997 को अभियुक्त सोने लाल ने पुलिस हिरासत में अपने पूछताछ नोट, प्रदर्श-पी-8, में बयान दिए कि उसने चाकू एक्साइज वेयर हाउस के पास स्थित तालाब के सामने इमली के पेड़ से सटी झाड़ी में छिपाकर रखा है और वह इसको बरामद करवा सकता है। इस प्रकार, आरोपी सोने लाल ने झाड़ियों से चाकू निकालकर सौंप दिया और उसे प्रदर्श-पी-9 के तहत जब्त कर लिया गया। अभियुक्त सोने लाल के पास से पहनी हुई एक नीले रंग की शर्ट को जरिए फर्द जब्ती, प्रदर्श-पी-16 के जब्त किया। जब्त सामग्री को रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल, सागर भेजा गया। एफएसएल, सागर की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो प्रदर्श-पी-23 है। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी सोने लाल के पास से जब्त चाकू, शर्ट और अंडरवियर पर खून पाया गया। मृतक राम खिलावन की शर्ट और अंडरवियर पर भी खून

लगा हुआ था। यहां तक कि घटनास्थल से एकत्र की गई मिट्टी में खून भी पाया गया।

अनुसंधान पूर्ण कर पुलिस कटनी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध सुनवाई हेतु आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

चूंकि अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया, इसलिए विचारण चलाया गया।

विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से मृतक के बेटे कृष्ण कुमार (पीडब्लू-6) और मृतक की पत्नी यशोदा बाई (पीडब्लू-9) के साक्ष्य पर भरोसा किया। पीडब्लू-9 के साक्ष्य के संदर्भ में यह माना गया कि यह विश्वसनीय और प्रेरित आत्मविश्वास था। तदनुसार, अपीलकर्ता को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

अपील में, दोषसिद्धि पर मुख्य रूप से इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि पीडब्लू 6 और 9 के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने पाया कि घटना की रिपोर्ट पीडब्लू-9 द्वारा तुरंत दर्ज की गई थी जिसे प्रदर्श-पी-17 के रूप में दर्ज किया गया था। यह बताया गया कि चार अन्य गवाह जिन्हें कथित चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया था, उन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। उच्च न्यायालय ने पाया कि डॉक्टर ने चोटों के स्थान के बारे में संकेत दिया और चिकित्सीय साक्ष्य ने इस तथ्य की पुष्टि की कि मृतक को कई बार चाकू मारा गया था और खून मृतक के कपड़ों के साथ-साथ आरोपी से जब्त किए गए चाकू पर भी पाया गया था। आरोपी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर चाकू बरामद किया गया। तदनुसार, अपील खारिज की गई।

4. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब जिन व्यक्तियों को स्वतंत्र गवाह के रूप में माना जा सकता है,

उन्होंने अभियोजन संस्करण का समर्थन नहीं किया है तो पीडब्लू 6 और 9 के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अधिनस्थ अदालत के फैसले और आदेश का समर्थन किया।

6. केवल इसलिए कि चश्मदीद गवाह परिवार के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को स्वतः खारिज नहीं किया जा सकता है। जब गवाह के हितबद्ध होने का आरोप हो तो उसे स्थापित करना होगा। केवल यह कथन कि मृतक के रिश्तेदार होने के कारण वे आरोपियों को झूठा फंसा सकते हैं, उन साक्ष्यों को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता जो अन्यथा ठोस और विश्वसनीय हैं। हम अभियोजन संस्करण को आगे बढ़ाने के लिए गवाहों की रुचि से संबंधित विवाद से भी निपटेंगे। किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने के लिए रिश्ता कोई कारण नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई रिश्ता वास्तविक अपराधी को नहीं छुपाता और किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाता। यदि गलत फंसाने की दलील दी जाती है तो उसे साबित करना पड़ेगा। ऐसे मामलों में, अदालत को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और साक्ष्य का विश्लेषण करना होगा यह पता लगाने के लिए कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है।

7. दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364) में यह निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः

" एक गवाह को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह उन स्रोतों से नहीं निकलता जिनके दागी होने की संभावना है और इसका आम तौर पर मतलब है जब तक कि गवाह के पास कारण नहीं है, जैसे कि आरोपी के खिलाफ दुश्मनी, उसे गलत तरीके से फंसाने के लिए। आम तौर पर एक करीबी संबंध असली अपराधी की जांच करने और उसे गलत तरीके से

फंसाने के लिए अंतिम इंसान होगा। यह सच है, जब भावनाएँ बढ़ जाती हैं और शत्रुता का व्यक्तिगत कारण होता है, तो एक निर्दोष व्यक्ति, जिसके खिलाफ एक गवाह की दोषियों के साथ दुर्भावना होती है, को घसीटने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इस तरह की आलोचना के लिए नींव रखी जानी चाहिए और बुनियाद होने से दूर रिश्ते का तथ्य ही अक्सर सच्चाई की पक्की प्रत्याभूति होता है। हालाँकि, हम किसी व्यापक सामान्यीकरण का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारी टिप्पणियाँ केवल उन बातों का मुकाबला करने के लिए की जाती हैं जो अक्सर हमारे सामने एक सामान्य नियम के रूप में रखी जाती हैं। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित और नियंत्रित होना चाहिए।"

8. उपरोक्त निर्णय का गुली चंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1974 (3) एस. सी. सी. 698) में पालन किया गया है जिसमे वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य (ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 614) पर भी भरोसा किया गया था।

9. हम यह भी देख सकते हैं कि इस आधार पर कि गवाह एक करीबी रिश्तेदार है और परिणामस्वरूप एक पक्षपातपूर्ण गवाह है, उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, इसमें कोई दम नहीं है। इस सिद्धांत को दलीप सिंह के मामले (उपर) में इस न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था, जिसमें बार के सदस्यों के मन में व्याप्त इस धारणा पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था कि रिश्तेदार स्वतंत्र गवाह नहीं थे। न्यायाधिपति विवियन बोस, के माध्यम से बोलते हुए यह देखा गयाः-

"हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि दो चश्मदीद गवाहों की पुष्टि की आवश्यकता है। यदि इस तरह के अवलोकन की नींव इस तथ्य पर आधारित है कि गवाह महिलाएं हैं और सात

पुरुषों का भाग्य उनकी गवाही पर निर्भर है, हम ऐसे किसी नियम के बारे में नहीं जानते हैं। यदि यह इस आधार पर आधारित है कि उनका मृतक से गहरा संबंध है तो हम सहमत होने में असमर्थ हैं। यह कई आपराधिक मामलों में आम बात है और इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने 'रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 54, पृष्ठ 59 पर) में दूर करने का प्रयास किया। हालाँकि, हम यह पाते हैं कि दुर्भाग्य से यह अभी भी कायम है, अगर न्यायालयों के निर्णयों में नहीं, तो किसी भी दर पर अधिवक्ताओं की दलीलों में।"

10. इसके अतिरिक्त मसलती और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202) में इस न्यायालय ने अभिकथित किया (पी। 209-210 पैरा 14):

"लेकिन हम समझते हैं कि यह तर्क देना अनुचित होगा कि गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल इस आधार पर ही खारिज किया जाना चाहिए कि यह पक्षपातपूर्ण या हितबद्ध गवाहों का साक्ष्य है। इस तरह के साक्ष्य की यांत्रिक अस्वीकृति एकमात्र इस आधार पर कि यह पक्षपातपूर्ण है, यह हमेशा न्याय की विफलता का कारण बनेगा। कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। साक्ष्यों की कितनी विवेचना की जानी चाहिए, इसके बारे में कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता है। न्यायिक दृष्टिकोण को ऐसे साक्ष्यों से विश्लेषण में सतर्क रहना होगा लेकिन यह दलील कि इस तरह के साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण है, इसे सही के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

11. पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह (ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2407), लेहना बनाम हरियाणा राज्य (2002 (3) एस. सी. सी. 76) और गंगाधर बेहरा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य (2002 (8) एस. सी. सी. 381) में भी इसी तरह के फैसले लिए गए हैं।

12. उपरोक्त स्थिति को बाबूलाल भगवान खंडारे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [2005 (10) एस. सी. सी. 404] और सलीम साहब बनाम एम. पी. राज्य (2007 (1) एस. सी. सी. 699) में भी उजागर किया गया था।

13. गवाहों का पीड़ितों से कोई संबंध न होने की अति आग्रह के परिणामस्वरूप अक्सर आपराधिक न्याय खत्म हो जाता है। जब किसी आवासीय घर में कोई घटना घटती है तो सबसे स्वाभाविक गवाह उस घर के निवासी होंगे। ऐसे प्राकृतिक गवाहों की उपेक्षा करना और बाहरी लोग, जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा होगा, पर जोर देना अव्यावहारिक है। यदि न्यायालय ने साक्ष्य से, या यहां तक कि जांच रिकॉर्ड से भी यह पाया है कि किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति ने संबंधित घटना से जुड़ी किसी घटना को देखा है, तो अभियोजन गवाह के रूप में ऐसे व्यक्ति की जांच न करने के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां करने का औचित्य है। अन्यथा, केवल अनुमानों के आधार पर अदालत को अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में इलाके के अन्य व्यक्तियों की जांच नहीं करने के लिए अभियोजन पक्ष को फटकार नहीं लगानी चाहिए। अभियोजन से केवल उन लोगों से जाँच करने की अपेक्षा की जाएगी जिन्होंने घटनाओं को देखा है न की उन लोगों से जिन्होंने इसे नहीं देखा है यद्यपि पड़ोस अन्य निवासियों से भी भरा हो सकता है। [देखिएः राजस्थान राज्य बनाम तेजा राम और अन्य (ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1776)]

14. हस्तगत प्रकरण में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पीडब्लू 6 और 9 के साक्ष्य का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। विचारण न्यायालय ने पीडब्लू 6 और 9 के साक्ष्य के संदर्भ में कहा कि उनकी वृतान्त चिकित्सीय साक्ष्य के भीतर उपयुक्त है।

15. फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी के पास से बरामद चाकू पर लगा खून मृतक के अंडरवियर पर लगे

खून से मेल खाता है। पीडब्लू-6 ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसे अभियुक्त के हाथों चोटें लगी थीं। अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि इस अपील में कोई सार नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

एस.के.एस

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ. मनीषा चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।